बिहार में खाद्य सुरक्षा योजना की वर्तमान स्थिति : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विशेष संदर्भ में

रौशन कुमार*

सार–संक्षेप–सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। भारत में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित और राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से भारत के गरीबों के लिए सब्सिडी वाले खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं को वितरित करता है। 1997 में वस्तुओं, मुख्य भोजन में अनाज, गेहूँ, चावल, चीनी, और मिट्टी का तेल को उचित मूल्य की दुकानों (जिन्हें राशन की दुकानों के रूप में भी जाना जाता है) के एक नेटवर्क जो देश भरें कई राज्यों में स्थापित है के माध्यम से वितरित किया गया। भारत सरकार द्वारा बिहार में अन्त्योदय अन्न योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में जो निर्धनतम परिवार है उन्हें रू0 2.00 प्रति किग्रा0 की दर से गेहूँ तथा रू0 3.00 प्रति किग्रा0 की दर से चावल प्रति परिवार प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है। अन्त्योदय अन्न योजना में लाभार्थी परिवार को प्रतिमाह 35 किलो खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) प्रति परिवार प्रति माह उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश के नौ प्रमण्डलों में गेहू एवं चावल के अनुपात में परिवर्तन करके 15 किग्रा0 गेहूँ तथा 20 किग्रा0 चावल वितरित किये जाने का निर्णय लिया गया है। बिहार सरकार खाद्य सुरक्षा के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को खाद्य सुरक्षा की नीति का महत्वपूर्ण घटक मानती है जिसमें गरीबी की रेखा के नीचे की आबादी के लिए खाद्यान्नों की न्यूनतम आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अत्यन्त पारदर्शिता और सक्षमता के साथ लाभार्थियों के सर्वोत्तम लाभ के लिए क्रियान्वित करती हैं।

परिचय–भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली वह फुटकर व्यवस्था है, जो राज्य के निरीक्षण एवं मार्गदर्शन में चलती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएँ उचित मात्रा, उचित मूल्य तथा उचित गुणवत्ता पर उपलब्ध कराना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आशय आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के स्थान, समय एवं आर्थिक पहलू की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए न्यायपूर्ण कीमत तथा उपयुक्त आधार पर मान वितरण की समुचित व्यवस्था है। प्रत्येक सरकार को जनता की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसको आवश्यक वस्तुएं, उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना उसका दायित्व होता है। सामान्य वितरण व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादक से उपभोक्ता के बीच एक लंबी श्रृंखला होती है, इन मध्यस्थों के फलस्वरूप वस्तुओं की कीमतें अपने आप बढ़ जाती हैं, क्योंकि यह मध्यस्थ अपनी विनियोजित पूंजी का अच्छा प्रतिफल, अपनी सेवा व जोखिम का पुरस्कार तथा बढ़े हुए अन्य खर्चे वस्तु के मूल्यों में जोड़कर प्राप्त कर लेता है। अंत में इसका भार उपभोक्ता को ही वहन करना पड़ता है। उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तुएँ पहुंचने में मध्यस्थों की संख्या कम से कम होने पर ही मूल्यों पर नियंत्रण के साथ ही साथ, उनकी शुद्धता और पर्याप्त पूर्ति संभव है। इस कारण से मध्यस्थों पर अंकुश आवश्यक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रत्यक्ष रुप से इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

परिचय–सार्वजनिक वितरण प्रणाली अभाव की स्थिति में खाद्यान्नों के प्रबंधन करने और उचित मूल्यों पर वितरण करने के लिए तैयार की गयी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनुपूरक स्वरूप की है और इसका उद्देश्य किसी परिवार अथवा समाज के किसी वर्ग को इसके अंतर्गत वितरित किसी वस्तु की समस्त आवश्यकता उपलब्ध कराना नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन संचालित की जाती है। केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, ढुलाई और सम्पूर्ण आवंटन करने की जिम्मेदारी ली है। राज्य के अंदर आवंटन, लक्षित परिवारों की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने और उचित दर दुकानों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने सहित अन्य प्रचालनात्मक जिम्मेदारियाँ राज्य सरकारों की होती हैं। फिलहाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों, संघशासित राज्य क्षेत्रों को वितरण करने के लिए अर्थात, गेहूँ, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल जैसी वस्तुओं का आवंटन किया जा रहा है। कुछ राज्यसंघ, राज्य क्षेत्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से दाल, खाद्य तेल, आयोडीन युक्त नमक, मसाले आदि जैसी आम खपत की अतिरिक्त वस्तुएँ भी वितरित करते हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकास–अन्तर–युद्ध अवधि के दौरान भारत में आवश्यक वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण अस्तित्व में था। 1960 के दशक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली कमी वाले शहरी क्षेत्रों में खाद्यान्नों के वितरण के अपने

***शोधार्थी अर्थशास्त्र विभाग ल. ना. मि. विश्वविद्यालय, दरभंगा**

लक्ष्य के साथ एवं खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी के परिणामस्वरुप प्रारंभ की गई थी। चूंकि हरित क्रान्ति के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पहुंच का विस्तार 1970 और 1980 के दशकों में अत्यधिक निर्धनता वाले जनजातीय ब्लॉकों और क्षेत्रों तक किया गया था। 1992 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली बगैर किसी विशिष्ट लक्ष्य के सभी उपभोक्ताओं के लिए एक आम हकदारी की योजना थी। पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आरपीडीएस) पूरे देश के 1775 ब्लॉकों में जून, 1992 में शुरू की गई थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) 1997 से शुरू की गई थी।

पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली—पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और सुप्रवाही बनाने और इसकी पहुंच दूर—दराज, पहाड़ी, सुदुरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों तक वृद्धि करने की दृष्टि से, जहां गरीबों की बड़ी आबादी रहती है, जून, 1992 में शुरू की गई थी। इसमें 1775 ब्लॉकों को शामिल किया गया था, जहां सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना, मरूस्थल विकास कार्यक्रम और विशेष लक्ष्य हेतु राज्य सरकारों के परामर्श से पहचान किए गए कुछ पहाड़ी क्षेत्र जैसे क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए थे। पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आरपीडीएस) में वितरण हेतु खाद्यान्न केंद्रीय निर्गम मूल्य से 50 पैसे कम मूल्य पर जारी किए गए थे। निर्गम की मात्रा 20 किलोग्राम प्रति कार्ड थी।

पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिन्सों की प्रभावी पहुँच, राज्य सरकारों द्वारा पहचान किए गए क्षेत्रों में उचित दर दुकानों के द्वार तक उनकी सुपुर्दगी, छोड़ दिए गए परिवारों को अतिरिक्त राशन कार्ड, अतिरिक्त उचित दर दुकान भंडारण क्षमता इत्यादि जैसी आधारभूत संरचना संबंधी आवश्यकताओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानों के जरिए वितरण हेतु चाय, नमक, दाल, साबुन आदि जैसे अतिरिक्त वस्तुओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण शामिल थे।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सम्बन्ध उपभोक्ताओं को वस्तुएँ उपलब्ध कराना है। यही नहीं केवल वस्तुएँ ही उपलब्ध कराई जाएगी अपितु उन वस्तुओं की किस्म एवं उचित मूल्यों पर भी पर्याप्त ध्यान देना आवश्यक है। समय क्रम के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्यों में भी परिवर्तन होता रहा है।

इस प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली न केवल भारत में ही वरन् विश्व के अन्य देशों में भी किसी न किसी रूप में प्रचलित है। चाहे उसे विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से क्यों न पुकारा जाता हो। समाजवादी देशों में जो समाजवाद में विश्वास रखते हैं कि हर व्यक्ति को प्रत्येक वस्तु, उचित मात्रा, उचित स्थान में

समान रूप से प्राप्त कराई जाती है। कहीं भी किसी भी प्रकार की असमानता दृष्टिगोचर न हो, जिससे कि जनता का अधिकतम कल्याण हो सके। अन्य देशों में यह प्रणाली स्वतन्त्र रुप से कार्य करती है, इस प्रणाली में किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया जाता क्योंकि वस्तुओं के पर्याप्त उत्पादन व पूर्ति के परिणामस्वरुप देश में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होता, जिससे कि वितरण व्यवस्था स्वतन्त्र रुप से कार्य करती रहती है।

आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए हर व्यक्ति प्रयत्नशील होता है। अभावों की दशा में जीवनोपयोगी वस्तुओं की पूर्ति भी दुर्लभ हो जाती है। विशेषकर ऐसी परिस्थिति में समाज के कमजोर एवं निर्धन वर्ग को अत्याधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है, आर्थिक विषमता बढ़ने लगती है। धनी—धनी, और, गरीब और गरीब होते जाते हैं। सरकार सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से इस स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करती है। उसका यह दायित्व हो जाता है कि सभी आवश्यक वस्तुएं, उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराना, जिससे कि वे अपना जीवन—यापन कर सकें।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लक्षण—यह वितरण प्रणाली संपूर्ण समाज के लिए होती है न कि समाज के एक वर्ग के लिए। समाज का चाहे वह निर्धन वर्ग हो या धनी वर्ग सभी को इस व्यवस्था से लाभ होता है। इस प्रणाली का दूसरा प्रमुख लक्षण यह है कि यह प्रणाली केवल आवश्यक वस्तुओं से सम्बन्धित होती है न की आरामदायक या विलासिता की वस्तुओं से। इसका सम्बन्ध अंतिम उपभोक्ता से ही होता है न कि मध्य उपभोक्ताओं से, अर्थात जिन उपभोक्ताओं को इन वस्तुओं की पूर्ति कराई जाती है, वहीं उसका उपयोग भी करते हैं। इस प्रणाली का सम्बन्ध, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि वितरण व्यवस्था से है न की उत्पादन से, जितना उत्पादन होता है, उसी के अनुरूप वितरण किया जाता है। इस प्रणाली का एक प्रमुख लक्षण यह भी है कि सभी उपभोक्ताओं को उचित समय तथा उचित मूल्य पर ही वस्तुओं की पूर्ति की जाएगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य—सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रयोग समय—समय पर विभिन्न निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया गया। प्रारंभ में इसका उद्देश्य जनता को आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएँ केवल उपलब्ध कराना ही मात्र था, उस समय वस्तुओं के मूल्य पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, क्योंकि अभाव की दशा में वस्तुएँ उपलब्ध कराना ही मुख्य उद्देश्य होता है। विकास क्रम के साथ ही साथ उसके उद्देश्यों में भी परिवर्तन होता गया। वर्तमान समय में इसके निम्न उद्देश्य परिलक्षित होते हैं—

उपभोक्ता के कल्याण हेतु सुविधा प्रदान करना— समाज के कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि सही स्थान व उचित मूल्य पर

कराना इसका दूसरा उद्देश्य है। समाज में प्रत्येक स्तर के व्यक्ति होते हैं। कुछ अमीर होते हैं, कुछ गरीब। परंतु सभी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के साथ ही साथ उसकी कुछ दैनिक आवश्यकता होती है। इन सभी दैनिक उपयोग की वस्तुओं को समाज के कमजोर वर्ग को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना, जिससे कि वह व्यापारी वर्ग के द्वारा किए गए कृत्रिम अभावों के परिणामस्वरुप मूल्य–वृद्धि से प्रभावित ना हो।

निष्कर्ष–बिहार सरकार खाद्य सुरक्षा के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को खाद्य सुरक्षा की नीति का महत्वपूर्ण घटक मानती है जिसमें गरीबी की रेखा के नीचे की आबादी के लिए खाद्यान्नों की न्यूनतम आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अत्यन्त पारदर्शिता और सक्षमता के साथ लाभार्थियों के सर्वोत्तम लाभ के लिए क्रियान्वित करती हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली उचित दर की दुकानों/राशन की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से कार्य करती है। ग्रामीण क्षेत्रों और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले भूमिहीन श्रमिक, छोटे किसान, ग्रामीण दस्तकार, ग्रामीण क्षेत्रों में कुम्हार, ठठेरा, बुनकर, लुहार, बढ़ई और शहरी क्षेत्रों में अनौपचारिक क्षेत्रों अर्थात दैनिक श्रमिकों, बोझा ढोने वाले, कुली रिक्शा चलानेवाले, हथठेला चलाने वाले, पटरी पर फल और सब्जी बेचने वाले आदि जैसे समाज के कमजोर वर्गों से सम्बन्धित परिवार सामान्यतः गरीबी की रेखा से नीचे की आबादी में आता है और विशेष सब्सिडी प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निरन्तर विकास होता रहा है। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन वितरण व मूल्य उपभोक्ता वर्ग आदि पक्षों पर अनेक दृष्टिकोणों से विचार किया जाता रहा है। समाज के कमजोर वर्ग की आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति उचित मूल्यों पर कराने का उद्देश्य रखा गया है। इसके लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था विशेष रूप से श्रमिक प्रधान शहरी क्षेत्रों में तथा ग्रामीण पर्वतीय पिछड़े क्षेत्रों में की गयी। समय–समय पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को स्थायी व सुदृढ़ स्वरूप होने के लिए उपाय किये जाते हैं।

संदर्भ स्रोत

1. गुप्ता अरविन्द, 2017, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया, सेंटर फॉर मैनेजमेन्ट एग्रीकल्चर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद, पृ. 41.
2. चटर्जी, आर.एन. 2017, प्राइस कंट्रोल एण्ड राशनिंग इन इंडिया, कलकत्ता, पृ. 65
3. ढोलकिया एन. 2009, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आई.वी.एच. पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, पृ. 56.

4. पुणेकर, एस.डी., 2015, इकनामिक रिवोलूशन इन इंडिया, हिमालिया पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई, पृ. 23.
5. भण्डारी एण्ड बोरा, 2014, इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 47.

*****